भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 281

दिनांक 21 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए स्टार्टअप योजना

281. श्री मलूक नागर:

श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई विशेष स्टार्टअप योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : सरकार ने भारत की स्टार्टअप संस्कृति के पोषण हेतु एक मजबूत आर्थिक प्रणाली निर्मित करने के लक्ष्य से 16 जनवरी, 2016 को ''स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव" पहल की शुरुआत की है जो हमारा आर्थिक विकास करेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को सक्षम बनाएगी। अन्य बातों के साथ-साथ यह नीतियों और पहलों के माध्यम से महिला उद्यमिता के सुदृढ़ीकरण तथा सक्षम नेटवर्क के सृजन में सहायता करती है।

इस पहल के अंतर्गत, इकाइयों को दिनांक 19 फरवरी, 2019 की जीएसआर अधिसूचना 127(ई) के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार स्टार्टअप के रूप में उद्योग और अतिरिक्त व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

31 दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से कम से कम एक स्टार्टअप के साथ लगभग 660 जिलों में डीपीआईआईटी द्वारा कुल 86,713 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। इनमें से कम से कम 46 प्रतिशत से अधिक के पास कम से कम एक महिला निदेशक है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :-

i. महिला के नेतृत्व वाली शुरुआत के लिए इक्विटी और ऋण, दोनों के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सीआईडीबीआई द्वारा प्रचालित स्टार्टअप स्कीम के लिए निधियों के वित्तपोषण में 10 प्रतिशत निधि (1000 करोड़ रुपये) महिला नेतृत्व वाली शुरुआत के लिए आरक्षित रखी जाती है।

ii. महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इनक्यूवेशन कार्यक्रम का आयोजन 3 माह के लिए प्रो-बोनो-एक्सलरेशन के साथ महिला नेतृत्व वाले 20 तकनीकी स्टार्टअप की सहायता हेतु किया गया था।

iii. स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों का समर्पित वेबपेज तैयार किया गया है। इस पृष्ठ में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

iv. महिलाओं के लिए जागरूकता तथा क्षमता निर्माण कार्यशाला - विभाग महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इन कार्यशालाओं में विभिन्न विषयों पर चर्चा किया जाना शामिल है तथा सफल उद्यमी अपनी व्यावसायिक यात्रा को साझा करते हैं। आयोजित किए गए सत्रों की प्रतिभागियों में आकांक्षी और वर्तमान उद्यमियों सहित बहुत सी महिलाएं शामिल हैं।

v. विंग - डीपीआईआईटी कार्यक्रम विंग के भाग के रूप में - वर्तमान और आकांक्षी महिला उद्यमियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन जनवरी, 2020 में गुवाहाटी, असम, कोहिमा तथा नागालैंड में किया गया था जिसमें दो सक्षम कार्यशालाओं में 114 लोगों ने भाग लिया था। भागीदारों को निम्नलिखित क्षेत्रों में मेंटरिंग सत्रों का आयोजन किया गया था :-

   क. उद्यम विचार (वेंचर आइडिएसन) तथा बिजनेस माडल वैलीडेशन
   ख. शासन : कानूनी/अनुपालन
   ग. बाजार/ब्रैंडिंग : विभेद करना
   घ. वित्त और वित्तीय निर्णय
   ङ. ग्राहक अधिग्रहण कार्यनीति तथा संवर्धन में प्रवीणता

vi. सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से तथा प्रिंट मीडिया तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सरकार महिला व्यावसायियों सहित माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमियों को सहायता पहुंचाने वाली वर्तमान स्कीमों के बारे में जागरूकता का सृजन करती है।

इसके अतिरिक्त, लैंगिक रूप से तटस्थ(जेंडर नयूट्रल) स्टार्ट अप इंडिया पहल के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- **<u>स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना :</u>** स्टार्टअप इंडिया के लिए कार्य योजना की शुरुआत 16 जनवरी, 2016 को की गई थी। इस कार्ययोजना में क्षेत्रों में फैले उन्नीस कार्य मदें जैसे कि ''सरलीकरण और संपर्क" "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" तथा "उद्योग एकेडमिया भागीदारी तथा इन्क्यूवेशन" शामिल है। इस कार्य

योजना ने देश में जीवंत स्टार्टअप आर्थिक प्रणाली सृजित करने के लिए परिकल्पित सरकारी सहायता, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी थी।

- **<u>स्टार्ट अप (एफएफएस) स्कीम के लिए निधियों का वितपोषण :</u>** सरकार ने स्टार्ट अप की वितपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रूपये की निधि के साथ एफएफएस की स्थापना की है। डीडीआईआईटी एफएफएस के लिए निगरानी एजेंसी तथा स्माल इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया (एसआईडीबीआई) प्रचालन एजेन्सी है। स्कीम की प्रगति और निधियों की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्तीय आयोग चक्र के दौरान 10000 करोड रूपये की कुल निधि प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है । इसने न केवल आरंभिक स्तर, शुरूआती स्तर तथा विकास स्तर पर स्टार्ट अप हेतु पूंजी उपलब्ध करवाई है बल्कि घरेलू पूंजी को सुगम बनाने, विदेशी पूंजी की निर्भरता को कम करने तथा घर में विकसित की गई तथा नई वैचर पूंजी निधियों को प्रोत्साहित करने के संबंध में उत्प्रेरक भूमिका भी निभाई है।

- **<u>स्टार्ट अप के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस)</u>** : सरकार ने एसईडीआई पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों के अंतर्गत निर्धारित व्यावसायिक बैंकों, गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा वेंचर ऋण निधियों (वीडीएफ) द्वारा डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप के लिए विस्तारित ऋणों हेतु ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्ट अप के लिए ऋण गारंटी स्कीम की स्थापना की है। सीसीएसएस का लक्ष्य पात्र मांगकर्ताओं अर्थात (डीपीआईआईटी) मान्यता प्राप्त स्र्टाटअप के वितपोषण हेतु सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा विस्तारित ऋणों के लिए विनिर्दिष्ट सीमा तक ऋण गारंटी प्रदान करना है।

- **<u>विनियामक सुधार :</u>** व्यवसाय करने की सहजता को बढ़ाने, पूंजी संवर्धन को सुगम बनाने तथा स्टार्टअप परितंत्र के लिए अनुपालन भार को कम करने के लिए 2016 से सरकार द्वारा लगभग 50 विनियामक सुधार किए जा चुके है।

- **अधिप्रापण की सुविधा :** अधिप्रापण की सुविधा को सक्षम बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को गुणवत्ता और तकनीकी विशेष विवरणों को पूरा करने के अध्यधीन सभी डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति में पूर्व अनुभव तथा पूर्व टर्नओवर की शर्तों में छूट देने का निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) स्टार्ट अप रन को विकसित किया गया है जो सरकार को सीधे ही उत्पादों और सेवाओं के लिए स्टार्ट अप हेतु डेडीकेटेड कार्नर है।

- **<u>बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता :</u>** स्टार्ट अप फास्ट ट्रैकड पेटेन्ट ऐपलीकेशन जांच तथा निपटारे के लिए पात्र है । सरकार ने स्टार्ट अप बौद्धिक संपति संरक्षण (एसआईपीपी) की शुरूआत की थी जो केवल वैधानिक शुल्क का भुगतान करके उचित आईपी कार्यालयों में पंजीकृत सुविधाओं के माध्यम से पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रैडमार्क के लिए आवेदन दाखिल करने हेतु स्टार्ट अप को सुगम बनाता है। इस स्कीम के अंतर्गत सुविधा प्रदान करने वाले विभिन्न आईपीआर पर सामान्य सलाहकार पत्र प्रादन करने तथा अन्य देशों में आईपीआर को संरक्षित और प्रोत्साहित करने संबंधी सूचना के लिए उत्तरदायी होता है। सरकार

पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और डिजाइन के लिए सुविधा प्रदान करने के समग्र शुल्क को वहन करती है तथा स्टार्ट अप केवल देय वैधानिक शुल्क की लागत को वहन करते हैं। स्टार्टअप को पेटेंट्स को दाखिल करने में 80 प्रतिशत छूट तथा ट्रैडमार्क को भरने में अन्य कंपनियों में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

- **<u>श्रम और पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत स्व-प्रमाणीकरण :</u>** स्टार्टअप को उनकी शुरूआत की तारीख से 3 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए 9 श्रम तथा 3 पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत उनके अनुपालन को स्व प्रमाणीकृत करने की अनुमति दी जाती है।

- **<u>तीन वर्षों के लिए आयकर छूट :</u>** दिनांक 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात अधिनिगमित स्टार्ट अप आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतर मंत्रालयी बोर्ड प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को उनकी शुरूआत से 10 वर्ष में से तीन वर्ष की अवधि के लिए आय कर से छूट प्रदान की जाती है।

- **<u>भारतीय स्टार्ट अप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच</u> :** स्टार्ट अप इंडिया पहल के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विभिन्न एंगेजमेंट मॉडलों के माध्यम से वैश्विक स्टार्टअप आर्थिक प्रणालियों से भारतीय स्टार्टअप आर्थिक प्रणाली को जोडने में मदद मिलती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सरकार में सरकारी भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचो में भागीदारी तथा वैश्विक इवैंटस की मेजवानी के माध्यम से किया गया है। स्टार्टअप इण्डिया ने लगभग 15 देशों (ब्राजील, स्वीडन, रूस, पुर्तगाल, यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर, इज़रायल, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, क्रोएशिया, कतर तथा यूएई) के साथ संबंधों की शुरूआत की है, जो भागीदार राष्ट्रों से स्टार्टअप के लिए साफ्ट लैडिंग प्लेटफार्म प्रदान करता है तथा सहयोग को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

- **<u>स्टार्टअप के लिए फास्टर एक्जिट :</u>** सरकार ने "फास्ट ट्रैक फर्म" के रूप में स्टार्टअप अधिसूचित किया है जो अन्य कंपनियों के लिए180 दिन की तुलना में 90 दिन के भीतर प्रचालन समापन करने में सक्षम बनाता हैं।

- **<u>स्टार्टअप इण्डिया हब :</u>** सरकार ने दिनांक 19 जून, 2017 को स्टार्टअप इण्डिया ऑनलाइन हब की शुरूआत की थी जो कि खोज करने, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने और एंगेजमेंट के लिए भारत में उद्यमिता वाली आर्थिक प्रणाली के सभी हितधारकों के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म है। यह ऑनलाइन हब स्टार्टअप, निवेशकों, निधियों, मेन्टरों, शैक्षिक संस्थानों, इन्क्यूबेटर, एक्सीलेटर, कोरपोरेट, सरकारी निकायों तथा अन्य की मेजवानी करता है।

- **<u>अधिनियम, 2019 की धारा 56 की उपधारा(2) के खण्ड (VII) (ख) के उद्देश्य के लिए छूट</u>** : डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, आयकर अधिनियम की धारा 56 (2)(VII) (ख) के प्रावधानों में छूट हेतु पात्र है।

- **<u>स्टार्टअप इण्डिया शोकेश :</u>** स्टार्टअप इण्डिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में दर्शाए गए स्टार्टअप के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए देश के सबसे अधिक उन्नत स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म पर दर्शाए गए स्टार्टअप अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वोत्तम रूप में उभरे हैं। ये नवाचार विभिन्न अन्यों के साथ-साथ विभिन्न कटिंग ऐज क्षेत्रों जैसेकि फिनटैक एंटरप्राइजिस टैक, सामाजिक प्रभाव, स्वास्थ्य तकनीक, शैक्षिक तकनीक में फैले हुए हैं। इन स्टार्टअप स्कीमों ने महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाया है और अपने संबंधित क्षेत्रों में असाधारण नवाचार को दर्शाया है। आर्थिक प्रणाली के हितधारकों ने इन स्टार्टअप स्कीमों को आगे बढ़ाया है और स्टार्ट अप को सहायता प्रदान की है, जिसमें इन प्लेटफार्मों पर उनकी उपस्थिति वैध बनी रहती है।

- **<u>राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद :</u>** सरकार ने जनवरी, 2020 में सतत आर्थिक विकास करने तथा व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए देश में नवीकरण और स्टार्टअप स्कीमों को पोषित करने के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक प्रणाली निर्मित करने हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार इस परिषद के गठन को अधिसूचित किया था। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, परिषद में स्टार्टअप आर्थिक प्रणाली में विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्य है।

- **<u>स्टार्टअप इण्डिया :</u> <u>भावीपथ</u> :** स्टार्टअप इण्डिया के पांच वर्ष के समारोह पर 16 जनवरी, 2021 को स्टार्टअप इण्डिया : भावीपथ का अनावरण किया गया था जिसमें स्टार्टअप के लिए व्यवसाय करने की सुगमता को प्रोत्साहित करने की कार्ययोजना, विभिन्न सुधार करने में प्रौद्योगिकी की व्यापक भूमिका, हितधारकों का क्षमता निर्माण तथा डिजिटल आत्मनिर्भर भारत के सक्षम बनाना शामिल है।

- **<u>स्टार्टअप इण्डिया प्रारंभिक(सीड) वित्तपोषण स्कीम (एसआईएसएफएस) :</u>** उद्यम के विकास के आरम्भिक चरणों में उद्यमियों के लिए पूंजी की समाज में उपलब्धता आवश्यक है। इस स्तर पर अपेक्षित पूंजी अक्सर बेहतर व्यवसाय वाले स्टार्टअप स्कीम के लिए मेक या ब्रेक की स्थिति प्रस्तुत करती है। इस स्कीम का उद्देश्य संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटो टाइप विकास/उत्पाद जांच, बाजार प्रविष्टि तथा व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप स्कीम को वितीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से 4 वर्ष की अवधि के लिए एसआईएसएफए स्कीम के अंतर्गत 945 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान की गई है।

- **<u>राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) :</u>** राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार मापनीय सामाजिक प्रभाव दर्शाते हुए रोजगार सृजन या धन सृजन की अधिक क्षमता के साथ नवीन उत्पादों या विकल्पों तथा स्केलेबल उपक्रमों को निर्मित करने वाली उत्कृष्ट स्टार्टअप स्कीमों तथा आर्थिक प्रणाली सक्षम व्यक्तियों को मान्यता देने और पुरस्कार प्रदान करने की एक पहल है। विभिन्न ट्रैकों अर्थात निवेशक कनेक्ट, मेंटरशिप, कॉरपोरेट, सरकारी संपर्क, अंतरराष्ट्रीय बाजार पहुंच विनियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैम्पियन तथा स्टार्टअप इण्डिया शोकेश आदि में भाग लेने वाले सभी फाइनलिस्ट लोगों से संपर्क कर सहायता प्रदान की जाती है।

- **<u>राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग अवसंरचना (एसआरएफ) :</u>** राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग अवसंरचना प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की शक्ति का उपयोग करने तथा देश में स्टार्टअप आर्थिक प्रणाली का सृजन करने के लिए एक अनूठी पहल है। रैंकिंग कवायद के प्रमुख उद्देश्य राज्यों को बेहतर पद्धतियों को चिन्हित करने, सीखने, बदलने, स्टार्टअप आर्थिक प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत कार्यकलापों को उजागर करने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने के लिए सुविधा प्रदान करना है।

- **<u>दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैम्पियन :</u>** दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैम्पियन कार्यक्रम, पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्टार्टअप स्कीमों की पद्धतियों को शामिल करने वाला एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है, इसका प्रसारण दूरदर्शन के नैटवर्क चैनल पर हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में किया जाता है।

- **<u>स्टार्टअप इण्डिया नवाचार सप्ताह :</u>** सरकार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी को स्टार्टअप इण्डिया नवाचार सप्ताह का आयोजन करती है। इसका मुख्य लक्ष्य उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए देश की प्रमुख स्टार्टअप स्कीमों, उद्यमियों, निवेशकों, इन्क्यूबेटर,वित्तपोषण इकाइयों, बैंकों, नीति-निर्माताओं तथा अन्य राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाना है।

*****